-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित अभियोग में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष 2021 में थाना कमासिन क्षेत्र में नाबालिक लडकी के साथ छेडखानी करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का कारावास व 03 हजार रुपये जुर्मानें से किया गया दण्डित।**

विवरण–पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में **मिशन शक्ति अभियान** के तहत चिह्नित वर्ष-2021 में थाना कमासिन क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिक लडकी के साथ छेडखानी करने वाले अभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष के कारावास व 03 हजार रुपये जुर्मानें की सजा से दण्डित किया गया । गौरतलब हो कि जनपद कमासिन क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम अमेढ़ी के रहने वाले हीरालाल ने दिनांक 12.04.2021 को थाना कमासिन पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री के साथ गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा छेड़खानी की गई है । इस सम्बन्ध में **थाना कमासिन में मु0अ0सं0 43/21 धारा 452/354/354(ख)/504/506/ भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन **उ0नि0 श्री भगवानदीन** द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 29.10.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। **लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र सिंह** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी जितेन्द्र तथा पैरोकार आरक्षी सतीश** के अथक प्रयासों से **आरोपी** को **मा0 सत्र न्यायालय बांदा** द्वारा **03 वर्ष के कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **दीपक उर्फ लिप्पू पुत्र शिवशरन नि0 अमेढी थाना कमासिन जनपद बांदा।**